राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

243/2020 बसन्तीलाल / शान्ती शर्मा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31/7/20	223 आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। संक्षिप्त में तथ्य प्रकरण में इस प्रकार है की अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वितीय जयपुर के समक्ष के वादिया /रेस्पो. संख्या 1 द्वारा एक वाद बाबत विभाजन व अस्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया की वाद पत्र में अंकित आराजीयात में वादिया का हिस्सा 1/9 प्रतिवादी संख्या 1का हिस्सा 1/9, प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्सा 1/9, व प्रतिवादी संख्या 3,4,5 का हिस्सा 1/9, एवं प्रतिवादी संख्या 6,7 का हिस्सा 2/9, प्रतिवादी संख्या 8,9 का हिस्सा 2/9, एवं प्रतिवादी संख्या 10 का हिस्सा 1/9 राजस्व रिकार्ड में अभिलिखित है वर्तमान में वादिया वादग्रस्त भूमि को अन्य सहखातेदारों के साथ काश्त नही चाहती और ना ही उन्नत करना चाहती बल्कि प्रथक से अपने हक़ व अधिकारों की वादग्रस्त भूमि पर तन्हाकाबिज होकर एवं काश्त कर व उन्नत कर उपयोग एवं उपभोग करना चाहती है वादिया ने प्रतिवादीगण से कई मतबा आपसी सहमती से वादग्रस्त भूमि का तहसील में चल कर सहमती से विभाजन कराने हेतु निवेदन किया किन्तु प्रतिवादीगण ने कोई रूचि नही ली। अत: वाद प्रस्तुत कर विधिवत तकास्मा किया जाकर अलग-अलग खाता कायम किये जाने एवं अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने की इस्तदुआ की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण की तामिल जारी किये जाने पर रेस्पो. संख्या 1 लगायत 10 के अभिभाषक ने उपस्थित होकर जवाब दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया प्रतिवादी संख्या 13 बावजूद सुचना अनुपस्थित रहे तथा प्रतिवादी 11,12,14,15 से वादिया द्वारा अनुतोष नही चाहे जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1लगायत 10 की बहस सुनकर अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29/01/2020 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद में प्राथमिक डिक्री जारी कर यह अंकित किया की विवादित आराजीयात का उभयपक्षकारान की उपस्थिति में बाई-मीट्स एन्ड बाउन्ड्स के आधार पर तकास्मा किया जाकर वादिया एवं प्रतिवादीगण का हक़ व हिस्सा एवं भूमि की लगान तथा खाता अलग-अलग कायम किया जाकर	

राजस्व अपील अधिकारी जिला जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

बसन्तीलाल / शाशि शर्मा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
2020	

कुरेजात रिपोर्ट मय नक्शे की 3-3 प्रतियों में तैयार करवाकर इस न्यायालय को आगामी तारीख पेशी 20/02/2020 से पूर्व भिजवाया जाना सुनिश्चित करे। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 10 \ अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष 23/07/2020 को प्रस्तुत की गयी। जिस पर बहस अभिभाषक पक्षकारान समायत की गयी।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से यही निवेदन किया की अधीनस्थ नयायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 11,12,14,15 की तामिल करवाये बगैर एवं उनके सुनवाई का कोई अवसर दिये बगैर अपिलाधीन निर्णय व डिक्री विधिकप्रक्रिया अपनाये बगैर ही गलत रूप से पारित कर दी है जो ऐबईनिशियो वायड होने से ख़ारिज की जावे। अधिवक्ता अपीलार्थी ने आगे अपनी बहस में निवेदन किया की वादग्रस्त भूमि अविभाजित एवं सामिलाती भूमि है जिसका मनबट से सहखातेदारान ने मौके पर 30-40 वर्षो से विभाजन कर रखा है तथा अपने रियायसी मकान, पशुओ के लिये बाड़े आदि बना रखे है जिनको वादिया अपने नाम कराने पर आमादा है चूँकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कब्जे अनुसार विभाजन का कोई आधार अपिलाधीन निर्णय के द्वारा निर्धारित नही किया है अत: निर्णय व डिक्री जेर अपील विधिक प्रक्रियाओ के विपरीत पारित होने से निरस्त की जावे।

अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी बहस के प्रारम्भ में हमारा ध्यान आदेशिका दिनांक 16/01/2020 की और आकर्षित करा कर निवेदन किया की इस अपील के अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना जवाब वाद प्रस्तुत कर दिया गया था एवं प्रतिवादी संख्या 11,12,14,15 के विरुद्ध वादिया द्वारा कोई अनुतोष ही नही चाहे जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सही रूप से विधिक प्रक्रियाओ के अनुसार ही उपस्थित पक्षकारो की सुनवाई कर विधिसम्मत प्रारम्भिक डिक्री पारित की गई है जिसमे कोई विधिक त्रुटी नही है। अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी बहस में आगे निवेदन किया की सुयोग्य

राजस्व अपील प्राधिकारी, जिला जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
तारीख हुक्म	2020	

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपिलाधीन निर्णय व् डिक्री के माध्यम से तहसीलदार सांगानेर को यह निर्देश प्रदान किया गया है की उभयपक्षकारान की बहस बाई-मीट्स एन्ड बाउन्ड्स के आधार पर तकास्मा किया जाकर वादिया एवं प्रतिवादी के अलग-अलग खाते कायम किये जावे | जिससे भी यह स्पष्ट है की यदि अपीलार्थी को कोई आपत्ति है तो वे तहसीलदार के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर दे अन्यथा भी वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अंतिम डिक्री पारित होने से पूर्व अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है अपीलार्थी को राजस्व रिकार्ड में पक्षकारान के दर्ज हिस्से के सन्दर्भ में कोई आपत्ति नही है मात्र अपीलार्थीगण प्रकरण को देरीना करने एवं वादिया रेस्पो. संख्या 1 को हैरान परेशान करने के लिये यह अपील लेकर आये है | अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व् डिक्री में कोई त्रुटी नही होने से अपील अपीलार्थी इसी स्टेज पर ख़ारिज फरमाई जावे |

हमने बहस अभिभाषक पक्षकारान पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया | अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एवं इस अपील के माध्यम से विवादग्रस्त भूमि के सन्दर्भ में राजस्व रिकार्ड में पक्षकारान के दर्ज हिस्से के सन्दर्भ में कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गयी है | एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपिलाधीन निर्णय व् डिक्री के अवलोकन से यह स्पष्ट है की सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से के सन्दर्भ में उभयपक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये | ऐसी परिस्थिति में अपीलार्थी के समक्ष यह अवसर विधिक रूप से मौजूद है की विवादग्रस्त भूमि के सन्दर्भ में तहसीलदार के समक्ष वे लिखित/मौखिक रूप से अपनी आपत्ति अथवा वस्तुस्थिति जाहिर कर सके | इसके जहाँ तक अपीलार्थी की यह आपत्ति की प्रतिवादी संख्या 11,12,14,व 15 की तामिल करवाये बगैर ही निर्णय व डिक्री जैर अपील पारित किया गया है, के सन्दर्भ में यह स्पष्ट तथ्य है की अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 11,12,14 व 15 प्रारूपिक प्रतिवादी है एवं विचाराधीन प्रकरण विभाजन का है, ऐसे में प्रशनगत भूमि का

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

बसन्तीलाल / शशि शर्मा

2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	विभाजन किये जाने से प्रतिवादी संख्या 11,12,14 व 15 के किसी हित पर विपरीत प्रभाव नही पड़ता है एवं चूँकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादग्रस्त भूमि के समस्त सहखातेदार उपस्थित हो गये थे एवं उनकी समुचित सुनवाई कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि अनुरूप निर्णय व डिक्री जैर अपील पारित किया गया है। अत: अपीलार्थी की यह आपत्ति भी उचित प्रतीत नही होती है।
	अत:उपरोक्त विवेचन के आधार पर निर्णय व डिक्री जैर अपील दिनांक 29/01/2020 में कोई त्रुटी प्रतीत नही होने से उसे यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी आधारहीन न होने से ख़ारिज की जाती है , एवं न्यायहित में अधीनस्थ न्यायालय एवं तहसीलदार सांगानेर को यह निर्देश प्रदान किये जाते है की निर्णय व डिक्री जैर अपील दिनांक 29/01/2020 की पालना में उभयपक्षकारान की समुचित सुनवाई कर आपत्ति प्राप्त कर विभाजन प्रस्ताव तैयार करे। एवं उभयपक्षकारान को यह आदेश दिया जाता है कि वे तहसीलदार सांगानेर के समक्ष दिनांक 10/08/2020 को उपस्थित होकर विभाजन के सन्दर्भ में अपना पक्ष प्रस्तुत करे।
राजस्व अपील अधिकारी जिला जयपुर	पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
	निर्णय आज दिनांक 31/07/2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
	राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर